दिनांक 02–05–2022 को वार्षिक स्थानान्तरण सत्र–2022–23 हेतु स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के तहत सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हींकरण किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक निदेशालय के कक्ष सं0–5 में सम्पन्न हुयी। बैठक में सुगम तथा दुर्गम क्षेत्रों के चिन्हींकरण का कार्यवृत्तः–

सचिव उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग–2 के पत्र सं0 124/XX–2/22–30(13)2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 के क्रम में विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यस्थल का मानक के अनुसार चिन्हींकरण किये जाने हेतु दिनांक 30 अप्रैल, 2022 को समिति की बैठक प्रस्तावित की गयी थी, परन्तु नामित सदस्य उक्त तिथि को शासकीय कार्य हेतु स्टेशन से बाहर जाने के कारण बैठक आयोजित नहीं हो पाई। पुनः दिनांक 02 मई, 2022 को बैठक की कार्यवाही की गयी।

बैठक में अर्थ एवं संख्या विभाग के अन्तर्गत पूर्व में दिनांक 25.03.2021 को विभागीय समिति द्वारा सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का अन्तिम बार चिन्हींकरण किया गया था। उक्त चिन्हींकरण में विभागीय आवश्यकताओं तथा सामान्य आधारभूत सुविधाओं के दृष्टिगत किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा संघ, उत्तराखण्ड द्वारा प्रेषित पत्र जिसमें उनके द्वारा जनपद–टिहरी/अल्मोड़ा को सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में चिन्हींकरण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है के सम्बन्ध में विचार–विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया कि जनपद–टिहरी एवं जनपद–अल्मोड़ा को सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में चिन्हींकरण नहीं किया जा सकता।

अतः विभाग में सुगम व दुर्गम क्षेत्रों का वर्गीकरण/चिन्हांकन पूर्व की भॉति यथावत रहेगा।

(अमित पुनेठा)
उप निदेशक(स्था0)/सदस्य

(डॉ मनोज कुमार पंत)
अपर निदेशक/सदस्य

(सुशील कुमार)
निदेशक/विभागाध्यक्ष

नोटः– सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों के निर्धारण में यदि शासन के निर्देशानुसार कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।